FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

ओंकार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 31 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-2-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27.02.2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकील ~~प्रार्थी~~ उपस्थित. प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। जिसने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी नं. 2 के द्वारा तथ्यात्मक जॉंच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जॉंच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।	

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

औंकार बनाम भूमिधारक तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
प्रार्थना पत्र	मु.न. 31/2019

वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण बाबत अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट से सम्बन्धित है। जिसमें ग्राम गढटकनेत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 881, 882, 883, 885, 886, 888, 890, 965, 966, 967, 970, 972, 973, 974, 976, 977 कुल किता 16 कुल रकबा 12.4100 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 884, 887, 889, 971, 975 कुल किता 5 कुल रकबा 4.16 हैक्टर के 1/42 हिस्सा व कृषि भूमि खसरा नम्बर 708, 709, 710 कुल किता 3 कुल रकबा 6.44 हैक्टर में हिस्सा 3/28 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम औंकार पुत्र नाथू दर्ज है एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 2091 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर में हिस्सा 3/10 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेजात् शिक्षा के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव मतदाता पहिचान पत्र, पैन कार्ड, सर्विस रिकार्ड आदि मे प्रार्थी का नाम नगराम पुत्र नाथू दर्ज है। उक्त लिपिकीय त्रुटि विरासत का नामान्तकरण खोलते समय होना कथन किया है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का नाम औंकार पुत्र नाथू के स्थान पर औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077–चार, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2073 – 2076, शिक्षा के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव मतदाता पहिचान पत्र, पैन कार्ड, सर्विस रिकार्ड आदि, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1790/भू.अ./2019 दिनांक 10.07.2019 एंव पुनः पत्राक 3305/भू.अ./19 दिनांक 30.3.19 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान में

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

ओंकार बनाम भूमि पत्रावली तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रार्थी का नाम औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू जाति जाट एक ही व्यक्ति होने तथा वर्तमान में इनके लड़को द्वारा काश्त किया जाना अंकित हैं। औंकार पुत्र नाथू के स्थान पर औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू दुरूस्त किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर प्रार्थी औंकार पुत्र नाथू के स्थान पर औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गढटकनेत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 881, 882, 883, 885, 886, 888, 890, 965, 966, 967, 970, 972, 973, 974, 976, 977 कुल किता 16 कुल रकबा [illegible].4100 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 884, 887, 889, 971, 975 कुल किता 5 कुल रकबा 4.16 हैक्टर के 1/42 हिस्सा व कृषि भूमि खसरा नम्बर 708, 709, 710 कुल किता 3 कुल रकबा 6.44 हैक्टर में हिस्सा 3/28 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम ओंकार पुत्र नाथू के स्थान पर औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(रणजीत सिह गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिह गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned with CamScanner